न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनिता कुमारी खटीक R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–20.02.2020

मिशल संख्याः– 179/2010

उनवानी दावा :

1. गोपाल पुत्र रामदेव जाति बलाई निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक
2. मांगी देवी पत्नी रामदेव जाति बलाई निवासी डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक

– वादीगण –

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदार जी देवली

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादीगण

पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दावा इस्तकरार हक, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता व पति श्री रामदेव को साबिक ख. नं. 1052 में 3 बीघा 17 बिस्वा जमीन दिनांक 13.05.1965 को आवटन कमेटी द्वारा विधिअनुसार आवंटित की गई थी और हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर कब्जा सम्भलाया गया था तभी से ही वादीगण के पिता के जिन्दा रहते हुये उनका व उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा है। वादीगण के अलावा मृतक रामदेव के अन्य कोई जायज वारिस नही है। हाल ही में देवली तहसील मे सेटलमेन्ट हुआ है और सेटलमेन्ट के दौरान उक्त जमीन के नये नम्बर 465 रकबा 1.10 है0 बना दिये गये है, मौके पर वादीगण का 0.95 है0 पर कब्जा है। अलॉटमेन्ट के पश्चात से आज तक अलॉटेड आराजियात पर वादीगण का ही कब्जा है। अलॉटमेन्ट के पश्चात उक्त अलॉटमेंन्ट का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया गया तथा जमीन को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया गया, जबकि उक्त ख. नं. की वादीगण का कब्जा तीस वर्ष से अधिक का हो चुका है । इस कारण वे विवादित जमीन के खातेदार काश्तकार बन चुके है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण के कब्जेकाश्त में मजामहत करते है, हल्का पटवारी मौके पर जाकर वादीगण को बेदखल करने की धमकी देता है, इस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को उक्त जमीन से बेदखल नही करे तथा अन्य किसी को अलॉट नहीं करे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः–पेरा नं. 1 व 2 आंशिक स्वीकार है। वादी संख्या 1 के पिता रामदेव पुत्र श्री गोरधन बलाई को ग्राम डाबर कला में दिनांक 13.05.65 को साबिक ख. नं. 1052 में 3 बीघा 17 बिस्वा को अस्थाई आवंटन हुआ है। हाल ख. नं. 465

रकबा 1.10 है0 साबिक ख. नं.1053, 1052, 1051 से बना है, केवल साबिक ख. नं. 1052 से नही बना है। पेरा न. 3 अस्वीकार है। वादीगण के पिता, पति को आवंटित भूमि का अस्थाई आवंटन हुआ है जिस पर खातेदारी देय नहीं है। पेरा नं. 4 अस्वीकार है। सिवायचक होने से नियमानुसार बेदखल की कार्यवाही की जाती है। पेरा नं. 5 कानूनी है। पेरा नं. 6 भूमि सिवायचक होने से अवैध कब्जा होने पर नियमानुसार बेदखल की कार्यवाही की जाती है। पेरा नं. 7 व 8 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। उक्त आवंटन अस्थाई है जिस पर वादीगणको खातेदारी/ गैर खातेदारी देय नहीं है। वादीगण ने कब्जेकाश्त के भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। वाद पत्र निरस्त योग्य है।

पत्रावली में तनकियात कायम कर सुनाई गई।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू– 1 वादी संख्या 1 गोपाल के पेश किये गये। वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रतिलिपी आवंटन प्रदर्श–2 आवंटन हेतु आवेदन पत्र जिसकी पुस्त पर ए से बी आवंटन आदेश दर्ज है। नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल संम्वत 2046–65, खसरा गिरदावरी संम्वत 2063–66, प्रदर्श–4 ता 12 तक प्रमाणित प्रतिलिपी पी–14 संम्वत 2057 से 2065 है। प्रदर्श–13 ता 17 संम्वत 2049 से 2055 तक की सभी प्रमाणित प्रतियां, प्रदर्श–18 व 19 , प्रमाण पत्र एक्स, एन. पुर्नवास खण्ड बिसलपुर परियोजना देवली द्वारा जारी डूब क्षैत्र से बाहर ख. नं. 465 बाबत है जो प्रदर्श–20 पेश किये है।

पेरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य पी. डब्ल्यू– 1 वादी संख्या 1 गोपाल से जिरह की। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 बनवारी पुत्र हरिशंकर शर्मा निवासी डाबरकला के पेश किये। पेरोकार सरकार ने साक्ष्य पी. डब्ल्यू–2 के उपस्थित नहीं हाने से जिरह नहीं की। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–3 घीसालाल जांगीड़ पुत्र श्री बजरंग लाल जांगीड़ निवासी ग्राम डाबरकला के पेश किये। पेरोकार सरकार ने जिरह की।

पेरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि साबिक ख. नं. 1052 हाल ख. नं. 465 डाबरकला में से अस्थाई आवंटन दिनांक 13.05.65 को किया गया तब से वादीगण का लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। नामान्तकरण/गैरखातेदारी के सम्बन्ध को कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। कब्जाकाश्त के दस्तावेज आवंटन के काफी वर्ष के लादू के ही है। आवंटन के समय आवंटन निरस्त नहीं किया गया है। आवंटन की हद तक खातेदारी प्रदान की जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस शामिल कर वादी का वाद खारीज करने की प्रार्थना की।

तनकीवार निर्णय :–

तनकी नं.1:– आया वादीगण विवादित ख. नं. 465 रकबा 1.10 में से 0.95 है0 वाके ग्राम डाबरकला तहसील देवली का खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं प्रतिवादीगण को इस पर मजामहत नहीं करने के लिये पाबन्द कराने का हकदार है ? –वादीगण–

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने इस तनकी को साबित करने के लिए प्रदर्श–1 अनाधिकृत कृषि भूमि के आवंटन की आज्ञा प्रपत्र 5 के अनुसार रामदेवा पुत्र गोरधन बलाई को वाके ग्राम डाबरकला में दिनांक 13.05.65 को 3 बीघा 17 बिस्वा हेतु आवेदन पत्र है। प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 में ख. नं.

53 मिन, 1052, 1051 मिन से खसरा नम्बर 465 रकबा 1.10 है0 बनना प्रदर्शित है। दर्श–20 में कार्यालय सहायक अभियन्ता पुर्नवास उपखण्ड प्रथम बीसलपुर परियोजना देवली का प्रमाण पत्र में ख. नं. 465 डूब लाईन 315.50 मीटर से बाहर है, पेश किया है। कब्जे को साबित करने के लिए प्रदर्श 4 से प्रदर्श–17 तक खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त पेश किये है। उक्त दस्तावेजो का विवेचन करने से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण के पिता व पति को साबिक 3 बीघा 17 बिसवा भूमि अस्थायी तौर पर आवंटित हुई है जिसकी कोई जमाबन्दी खातेदारी/गैरखातेदारी की पेश नहीं की है तथा साथ ही वादीगण के वाद अनुसार खसरा नं. 465 साबिक खसरा नं. 1052 से बनना बताया है जबकि मिलान क्षैत्रफल अनुसार हाल ख. नं. 465 रकबा 1.10 है0 साबिक ख. नं.1053, 1052, 1051 से बना है, केवल साबिक ख. नं. 1052 से नही बना है। वादीगण ने कब्जा काश्त के दस्तावेज आवंटन के काफी बाद के वर्षो के पेश किये है। खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त से वादी का वाद साबित नहीं होता है। अतः आवंटन सम्बन्धी दस्वावेज के वादी की खातेदारी/गैरखातेदारी की जमाबन्दी व मिलान क्षैत्रफल से हाल खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर से साबित नहीं होने के अभाव में वादी तनकी नम्बर 1 सिद्व करने में असफल रहा है। अतः तनकी नं. 1 विरूद्ध वादीगण प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2:– आया वादीगण के वाद में वर्णित आवंटन अस्थायी है, के कारण वाद खारिज योग्य है? **–पेरोकार सरकार–**

उक्त तनकी के विवेचनानुसार वादीगण के पिता व पति को अस्थायी आवंटन के दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध हैं। वादी को खातेदारी/गैरखातदारी सम्बन्धी बाबत कोई राजस्व दस्तावेज पेश नहीं है। अत यह तनकी भी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन, उभयपक्ष की बहस व तनकीवार विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण ने केवल कब्जे सम्बन्धी दस्तावेज पेश किये है जिनसे यह साबित नहीं होता है कि वादीगण के पिता ससुर की आवंटित भूमि को सेटलमेन्ट ने सिवायचक कर दिया। अतः मिलान क्षैत्रफल व अन्य दस्तावेजात के अभाव में व कब्जाकाश्त के दस्तावेज आवंटन के काफी वर्षो बाद के होने व वादीगण मात्र एक साबिक ख. नं. 1052 से नये हाल खसरा नम्बर 465 रकबा 1.10 है0 का बनना साबित करने में असफल रहने के कारण वाद खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 10.02.2020 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली